निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र 1935 (श0)

(सं0 पटना 252) पटना, सोमवार, 25 मार्च 2013

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

22 मार्च 2013

सं0 बिक्री–कर/विविध–43/2011/988—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 41(2)(ख) एवं 41(6)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 5312, दिनांक 04.07.2012, अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05.07.2012, अधिसूचना संख्या 5772, दिनांक 07.08.2012 एवं अधिसूचना संख्या 617, दिनांक 25.02.2013 में सन्निहित निदेशों के निरंतरता में वाणिज्य–कर आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य के बाहर से मालों के आयात करने के क्रम में विहित इलेक्ट्रोनिक संव्यवहार पहचान संख्या का निर्गमन निम्न प्रक्रिया, शर्तों एवं बंधेज के अधीन किया जाएगा:–

1.0 इस अधिसूचना में अंकित ''इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र'' का आशय इलेक्ट्रोनिक संव्यवहार पहचान संख्या तथा 'अंतर्राज्यीय खरीद' का आशय अंतर्राज्यीय खरीद एवं अंतर्राज्यीय शाखा अंतरण होगा।

2.0 निबंधित व्यवसायियों को राज्य के बाहर से माल आयात करने हेतु ''इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र'' का निर्गमन निम्न् शर्त्तों में से किसी एक शर्त्त के पूरा होने पर System द्वारा स्वतः ही Disable कर दिया जाएगा:–

(i) पिछले त्रैमास के लिए निर्धारित तिथि को दाखिल किए जाने वाली विवरणियाँ 60 दिनों के बाद भी दाखिल नहीं की गई हों।

(ii) 'सुविधा' आवेदन की तिथि के ठीक पिछले त्रैमास की विवरणियों में प्रतिवेदित अंतर्राज्यीय खरीद की राशि, आलोच्य त्रैमास अवधि के लिए 'सुविधा' के माध्यम से की गई अंतर्राज्यीय खरीद की राशि – आलोच्य त्रैमास की Goods in Transit + आलोच्य त्रैमास के ठीक पूर्व वाले त्रैमास की Goods in Transit से कम है। [दाखिल

विवरणी में प्रतिवेदित अंतर्राज्यीय खरीद राशि यदि 'सुविधा' आँकड़ों के अनुसार अंतर्राज्यीय खरीद राशि से कम है तो व्यवसायी परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में Goods in Transit Reconciliation Statement system में upload करेंगे]

(iii) अद्यतन स्वीकृत कर का पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

3.0 आवेदनकर्त्ता व्यवसायी द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया– (क) ऐसे नवनिबंधित व्यवसायी, जिन्होंने वर्तमान माह में ही निबन्धन लिया है, वे इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र का निर्बाध रूप से प्रयोग तब तक कर सकते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र के माध्यम से की गई कुल खरीद की राशि पर लागू वैट दर से संगणित किये जाने पर वैट की राशि एक लाख रु० की सीमा को पार न कर जाए। उनकी अंतर्राज्यीय खरीद राशि पर वैट का संगणन करने पर जैसे ही वैट राशि 50 हजार रु० की सीमा को पार करेगी, System द्वारा उन्हें SMS से Alert भेजा जाएगा कि वे क्रय के आलोक में वांछित कर का भुगतान करें अन्यथा वर्णित एक लाख रुपए की सीमा पार करने पर इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र का निर्गमन नहीं हो सकेगा।

(ख) ऐसे नवनिबंधित व्यवसायी, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में ही निबन्धन लिया है, वे इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्रों का निर्बाध रूप से प्रयोग तब तक कर सकते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र के माध्यम से की गई कुल अंतर्राज्यीय खरीद राशि पर लागू वैट दर से संगणित किये जाने पर वैट की राशि पिछले माहों के औसत मासिक कर के ढाई गुणा राशि की सीमा को पार न कर जाए। वर्णित राशि जैसे ही औसत मासिक कर की दुगुणी हो जाएगी, System द्वारा SMS के माध्यम से Alert भेजा जाएगा कि वे अविलम्ब क्रय के आलोक में वांछित कर जमा करें अन्यथा वर्णित ढाई गुणा राशि सीमा पार करने पर इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र का निर्गमन नहीं हो सकेगा।

(ग) ऐसे व्यवसायी जो चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व से ही निबंधित हैं और एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से नियमित कर का भुगतान कर रहे हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र का निर्बाध रूप से लाभ प्राप्त तब तक कर सकते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र के माध्यम से की गई कुल अंतर्राज्यीय खरीद राशि पर वैट का संगणन करने पर वैट की राशि पिछले वर्ष में जमा औसत मासिक कर की तिगुणी राशि की सीमा को पार न कर जाए। वर्णित राशि जैसे ही मासिक औसत कर राशि की दुगुणी हो जाएगी, System द्वारा SMS के माध्यम से Alert भेजा जाएगा कि वे अविलम्ब क्रय के आलोक में वांछित कर जमा करें अन्यथा वर्णित तिगुणी राशि सीमा पार करने पर इलेक्ट्रॉनिक अनुज्ञा प्रपत्र का निर्गमन नहीं हो सकेगा।

3.1 कंडिका 3.0 के उप–कंडिका (क) से (ग) में उन परिस्थितियों का वर्णन है, जिसमें विनिर्दिष्ट सीमा पार करने पर System द्वारा SMS के माध्यम से व्यवसायियों को Alert दिये जाने की व्यवस्था विहित की गई है। इन सभी परिस्थितियों में व्यवसायियों को Alert प्रेषित किये जाने के साथ–साथ संगत अंचल प्रभारियों के लिए भी निम्न Task create किए जाएंगे:–

(i) क्या व्यवसायी विनिर्माता हैं ?

(ii) क्या व्यवसायी ने करादेय वस्तुओं की अंतर्राज्यीय खरीद पूंजीगत् उद्देश्यों के लिए की है ?

(iii) क्या व्यवसायी ने करादेय वस्तुओं की अंतर्राज्यीय खरीद संविदा कार्य निमित्त की है ?

(iv) क्या व्यवसायी निर्यातक हैं?

(v) क्या व्यवसायी अंतर्राज्यीय बिक्री/शाखा अंतरण करते हैं ?

(vi) अन्य तर्कसंगत कारण ?

उपर वर्णित कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहने पर अंचल प्रभारी स्वयं कंडिका के उप–कंडिका 3.0 (क) से (ग) में वर्णित मौद्रिक सीमा को आवश्यकतानुसार बढ़ा सकेंगे।

4. अधिसूचना संख्या 5312, दिनांक 04.07.2012, अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05.07.2012, अधिसूचना संख्या 5772, दिनांक 07.08.2012 एवं अधिसूचना संख्या 617, दिनांक 25.02.2013 में दिये गए निदेश इस अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट अनुदेशो की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह अधिसूचना 14.04.2013 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
आयुक्त, वाणिज्य–कर।

Goods in Transit Reconciliation Statement for Incoming Suvidha

Sl. No.	Name of the Dealer	TIN	Inter-State Purchase/Stock Transfer Receipt received during the Quarter	Goods in Transit during the quarter	Goods in Transit in Immediately preceding qaurter but received during the current quarter	Net Value *(4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 252-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in